भारत में स्कूलों/कालेजों के बन्द रहने की अवधि

3400. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में स्कूल और कालेज अधिक समय तक बन्द रहते हैं; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) प्रत्येक देश की जल-वायु तथा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्कूलों और कालेजों के छुट्टी पर बंद होने की अवधि का निर्धारण किया जाता है । जिस अवधि के लिए भारतीय स्कूल और कालेज बंद रहते हैं तथा जिस अवधि के लिए दूसरे देशों के स्कूल और कालेज बंद रहते हैं इस संबंध में तुलनात्मक सूचना शिक्षा विभाग में संकलित नहीं की जाती है ।

EDUCATION FOR ALL SUMMIT OF NINE HIGH POPULATION COUNTRIES

3401. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state ;

(a) whether the summit meeting of Nine most populist developing countries which Was scheduled to be held in Delhi on the 16th December, 1993 was convened by 4 organisations of the UN Development Programme;

(b) if so, what was the main purpose and outcome of the summit; and

(c) how many countries have partici pated in the meeting ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Summit meeting on Education for All of Nine High Population Countries wag held in New Delhi on 16th December, 1993. The meeting was co-sponsored by UNESCO, UNICEF and UNFPA.

(b) The meeting adopted the Delhi Declaration which *inter alia* recognises the vital role of education in the development of societies and pledges for ensuring a place for every child in a school or ap-propria'e education programme. It accords to human development the highest priority at national and other levels ensuring that a growing share of national and community resources is dedicated to basic education and improving the management of existing resources for education.

(c) Bangladesh, Brazil, China, Egypt. India, Indonesia, Mexico, Nigeria and Pakistan participated in the meeting.

अवैध विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं पर प्रतिबंध

3402. श्री शारदा मुहन्ती :
श्री सोमपाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17-9-1993 के "राष्ट्रीय सहारा", दिल्ली के पृष्ठ 5 पर "यू. जी. सी. ने 32 विश्वविद्यालय व शैक्षिक संस्थाओं को अवैध घोषित किया" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालयों और शिक्षा-संस्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार 30 सितंबर,

1993 को देश में 31 जाली/स्व-घोषित विश्वविद्यालय थे । इन जाली विश्वविद्यालयों की एक सूची संलग्न-विवरण के रूप में दी गई है । समाचार पत्र में भी केवल 31 नाम दिए गए हैं ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 2(च) में "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है "केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा उसके द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय और इसमें ऐसी कोई भी संस्था शामिल होगी जिसे आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श करके इस संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है ।

कोई भी विश्वविद्यालय/संस्थान, जो ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार अनुरूप स्थापित नहीं किया गया है, स्वयं को न तो विश्वविद्यालय कह सकता है और न ही डिग्री प्रदान कर सकता है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में निहित प्रावधानों में जाली विश्वविद्यालयों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना नहीं की गई है । तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खंड 24 में यह दिया गया है कि जो भी खंड 23, जिसमें संस्थानों के नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा खंड 22, जिसमें डिग्रियां प्रदान करने के अधिकार का सीमांकन किया गया है, के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा जो एक हजार रुपए तक हो सकता है और यदि उल्लंघन करने वाली कोई संस्था अथवा व्यक्तियों का अन्य निकाय है तो ऐसी संस्था अथवा अन्य निकाय का प्रत्येक सदस्य, जो जानबूझकर अथवा इच्छानुसार इस उल्लंघन को प्राधिकृत करता है अथवा इसकी अनुमति देता है, को जुर्माना भरना पड़ेगा जो एक हजार रुपए तक हो सकता है ।

सरकार ने पहले ही दिसंबर, 1991 में संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। संशोधन विधेयक में जाली विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों को एक अजमानती संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान है जिसमें अधिनियम के खंड 22 और 23 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अनिवार्य कारावास तथा कठोर दंड का प्रावधान है।

विवरण

1. मैथिली यूनीवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद (उ. प्र.)
3. वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ. प्र.)
4. कमर्शियल विश्वविद्यालय लिमिटेड दरियागंज, दिल्ली ।
5. डेस्टेटर अनुसंधान विश्वविद्यालय, वोदिनायाकनूर (तमिलनाडु)
6. उत्तर प्रदेश भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
7. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद (उ. प्र.)
8. इलैक्ट्रो कामप्लेक्स होमियोपैथी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कानपुर (उ. प्र.)
9. न्यू जेरूसलम विश्वविद्यालय, कुथुपारंबा, कैनोर (केरल)
10. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन प्रणाली (उ. प्र)
11. विश्व सामाजिक कार्य विश्वविद्यालय, पेरुवी (केरल)
12. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगल सराय (उ. प्र.)
13. डी. डी. वी. संस्कृत विश्वविद्यालय पुथुर, तिरिची (तमिलनाडु)
14. भारतीय शिक्षण परिषद (उ. प्र.) मुक्त विश्वविद्यालय ।
15. आर्य विश्वविद्यालय श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)

16. बाइबल विश्वविद्यालय, अम्बूर उत्तरी आरकोट (तमिलनाडु) ।

17. पूर्वी आर्थोडाक्स विश्वविद्यालय, अम्बूर, उत्तरी आरकोट (तमिलनाडु) ।

18. विज्ञान ग्लोब विश्वविद्यालय, कुंबाकोनम (तमिलनाडु) ।

19. सैंट जान्स विश्वविद्यालय, किजानाट्म (केरल)

20. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर ।

21. स्व-संस्कृति विश्वविद्यालय, किजानाट्म (केरल)

22. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

23. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, (दिल्ली) ।

24. संत रविदास विश्वविद्यालय, मुमरेजपुर, बुलन्दशहर (उ. प्र.) ।

25. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।

26. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़, (उत्तर प्रदेश) ।

27. राजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर

28. भारती विद्यापीठ, इंजीनियरी एवं मेडिकल शिक्षा कालेज, सतारा रोड कटराजी, पुणे ।

29. अखिल भारतीय गांधी निसरगूचर व विद्यापीठ विजयनगर, नानदेड़ हाउसिंग सोसाइटी, नांदेड ।

30. महात्मा गांधी निसरगूचर विद्यापीठ, गांधी भवन, कोथरूड, पुणे ।

WINTER BREAK IN KENDRIYA VIDYALAYAS

3403. SHRI MISA. R. GANESAN :
SHRI SARADA MOHANTY :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya Sangathan has very recently changed the dates of Winter Break hitherto starting from 22nd December, 1993;

if so, the reasons therefor;whether it is likely to cause gceat inconvenience to KVS' employees whose journeys have already been planned and are to commence from 21st/22nd;

if so, whether Assistant Commissioners have since been instructed to grant leave in conjunction with Winter Break to all such employees who ask therefor; andif so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RFSOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) to (c) Yes, Sir. The Sangathan agreed to have the winter break from 23rd December, 1993 as a one time decision on the request of teachers. Instructions were also issued in advance so as to avoid any possible inconvenience.

(d) and (e) The Assistant Commissioners are competent to sanction leave in conjunction with winter break.

DISCIPLINARY PROCEEDINGS AGAINST PRINCIPAL|VICE-ERINCI-PALS QF KENDRIYA VIDYALAYAS

3404. SHRI HISA R. GANESAN :
SHRI SARADA MOHANTY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the details of Principals) Vice-Principal of Kendriya Vidyalayas against whom disciplinary proceedings are pending|contemplated concluded during the sessions—1991-92 and 1992-93;

(b.) what are the details of those against whose conduct preliminary enquiries have been ordered during the current session and what for; and